माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2018–19 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में लगातार चौथे वर्ष इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यन्त गौरव और सम्मान की बात है। यह विगत तीन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और आगामी दो वर्षों में अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और रणनीति प्रस्तुत करने का समय है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसने वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के बीच 7.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि हासिल की है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जोकि विश्व में सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही पांचवें स्थान पर पहुंचने की सम्भावना है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ने प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) में 5.7 प्रतिशत से दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर) में 6.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर) में 7.2 प्रतिशत वृद्धि का रुझान दर्शाया है। स्थिर मूल्यों पर समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भी 2016–17 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2017–18 के लिए 6.5 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत तक वृद्धि की ओर संशोधित हुई है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी लागू करने और नोटबंदी के अपेक्षित तात्कालिक प्रभाव को आत्मसात् करने के बाद भी विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है।

5. कई आर्थिक संकेतकों ने सुधार के लक्षण दर्शाए हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार द्वारा किए गए सुधार के उपाय फलीभूत हो रहे हैं। विश्व बैंक ने अपनी 2018 वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान रिपोर्ट में अनुमान लगाया

है कि वर्ष 2018–19 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी और आगामी दो वर्षों में यह 7.5 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2018 में भारत 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। विनिर्माण क्षेत्र के पुनः वृद्धि पथ पर आने, हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ सेवा क्षेत्र के 8 प्रतिशत से अधिक की अपनी उच्च वृद्धि दर को पुनः हासिल करने और निर्यात में 15 फीसदी की संभावित वृद्धि के साथ, हमारा देश आगामी वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक की उच्च वृद्धि दर हासिल करने के अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है।

6. यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक की 'ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस' में पिछले तीन वर्षों में भारत की स्थिति में 42 स्थानों का अप्रत्याशित उछाल सुनिश्चित किया है। हमने पहली बार शीर्ष 100 स्थानों में जगह बनाई है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में करों और ऋण जैसे प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व सुधारों, निवेशकों के हितों की रक्षा करने, अनुबंधों को लागू करने, कारोबार को सुविधा प्रदान करने, सुचारू सीमापार व्यापार सुनिश्चित करने, दिवालिया संबंधी मुद्दों को सुलझाने आदि के चलते संभव हो पाया है। हरियाणा की रैंकिंग 14वें स्थान से छठे स्थान पर आ गई है। मुझे यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसाकि माननीय राज्यपाल महोदय ने 5 मार्च को अवगत करवाया था, हरियाणा आज भी चालू वर्ष की रैंकिंग हेतु डीआईआईपी के डायनामिक पोर्टल पर पहले स्थान पर है। राज्य सरकार 'ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस' को देश के सामान्य लोगों, विशेषकर समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' तक ले जाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है।

7. राज्य सरकार पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन का स्वागत करती है और सामाजिक तथा आर्थिक मापदंडों में अत्यधिक सुधारों के साथ–साथ इसके बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, बिजली क्षेत्र में घाटे को कम करना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, ईज ऑफ'डूइंग बिजनेस आदि

में प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहनों के लिए राज्य को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का विचार कर रही है।

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गौरवमयी सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष मुझे लगातार चौथा बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018–19 के लिए अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, मैं चालू वर्ष के दौरान सरकार के प्रदर्शन का अवलोकन पेश करना चाहूँगा।

राज्य की अर्थव्यवस्था – सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

9. वर्ष 2017–18 के दौरान, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की सम्भावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 6.6 प्रतिशत दर्ज की गई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर 2017–18 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.08 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका 167.52 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत का योगदान है। वर्ष 2017–18 में, स्थिर मूल्यों पर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.78 लाख रुपये अनुमानित है, जोकि 130.04 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत है।

10. वर्ष 2017–18 में, प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धित की ग्रोथ 2.5 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 7.7 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धित आंकड़े प्राथमिक क्षेत्र के लिए 3.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत अनुमानित हैं।

11. जीएसवीए के संयोजन ने सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया है, जोकि विकसित और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। स्थिर मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 में 49.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 50.9 प्रतिशत हो गया। गत तीन वर्षों के दौरान द्वितीयक क्षेत्र का

हिस्सा 31 से 32 प्रतिशत के आसपास अधिक या कम स्थिर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 52.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 54.2 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 19.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2017–18 में 18.0 प्रतिशत रह गया और इसी अवधि के दौरान, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 28.1 प्रतिशत से कम होकर 27.8 प्रतिशत रह गया।

12. वर्ष 2016–17 में, वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,78,890 रुपये अनुमानित थी, जोकि वर्ष 2017–18 में 1,12,764 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,96,982 रुपये रहने की सम्भावना है, जोकि देशभर में सर्वाधिक में से एक है।

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, वैश्विक विश्लेषण कम्पनी क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसिज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) ने जनवरी 2018 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट 'राज्य का विकास' में उल्लेख किया है कि 'वित्त वर्ष 2013 और 2016 के बीच समग्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ–साथ श्रम–सघन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के अर्थों में' हरियाणा शीर्ष तीन राज्यों में रहा।

राज्य वित्त–राजकोषीय मानक

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार, गत तीन वर्षों के दौरान विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करके, केवल राजस्व घाटे को छोड़कर, सभी राजकोषीय मानकों को 14वें वित्त आयोग द्वारा और एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित सीमाओं के अंदर रखने में सक्षम हुई। राजस्व घाटे के मामले में भी, राज्य सरकार बढ़ते रुझान को बदलने में सक्षम हुई। इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.92 प्रतिशत से बजट अनुमान 2017–18 में कम होकर 1.80 प्रतिशत रह गया और संशोधित अनुमान 2017–18 में 1.35 प्रतिशत तक कम होने की सम्भावना है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, मेरा लक्ष्य इसे सकल राज्य घरेलू

उत्पाद के लगभग 1.20 प्रतिशत तक नीचे लाने का है और वर्ष 2019–20 के अंत तक हमारा लक्ष्य इसे शून्य के निकट लाने का है।

15. तथापि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक बेहतर संकेतक है क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं है। इस पैमाने पर हमारी स्थिति अत्यंत सुखद है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2016–17 में 2.81 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.19 प्रतिशत था। संशोधित अनुमान 2017–18 में इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.52 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 में अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया गया। वर्ष 2018–19 में भी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मात्र 0.39 प्रतिशत के सम्भावित प्रभावी राजस्व घाटे के साथ, यही रुझान रहने की सम्भावना है।

16. **राजकोषीय घाटा** राज्यों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा। वर्ष 2015–16 में, राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.92 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2016–17 में यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद (उदय के बिना) का 2.91 प्रतिशत था। बजट अनुमान 2017–18 में, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.84 प्रतिशत (उदय के साथ) और 2.40 प्रतिशत (उदय के बिना) था। संशोधित अनुमान 2017–18 में यह 2.83 प्रतिशत (उदय के साथ) और 2.48 प्रतिशत (उदय के बिना) तक कम होने का अनुमान है। आगामी वर्ष 2018–19 के लिए, यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.51 प्रतिशत (उदय के बिना) और 2.82 प्रतिशत (उदय के साथ) रहने की सम्भावना है।

17. **ऋण व राज्य घरेलू सकल उत्पाद का अनुपात** 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा। यह उदय के बिना वर्ष 2016–17 में 18.09 प्रतिशत तथा

संशोधित अनुमान 2017–18 में 19.04 प्रतिशत और उदय के साथ 2016–17 में 22.85 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान 2017–18 में 23.30 प्रतिशत था। वर्ष 2018–19 में यह उदय के बिना 19.66 प्रतिशत और उदय के साथ 23.44 प्रतिशत अनुमानित है।

18. संशोधित अनुमान 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में **कुल राजस्व प्राप्तियां** 11.52 प्रतिशत अनुमानित हैं, जबकि वर्ष 2016–17 में ये 9.63 प्रतिशत थीं। यह राज्य संसाधनों के लिए एक अति महत्वपूर्ण और स्वस्थ सुधार है।

19. संशोधित अनुमान 2017–18 के लिए, कुल राजस्व प्राप्तियां 70,085.13 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिनमें 53,061.52 करोड़ रुपये (75.71 प्रतिशत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 17,023.61 करोड़ रुपये (24.29 प्रतिशत) की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। बजट अनुमान 2018–19 में, मैंने 76,933.02 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रक्षेपित की है, जिनमें कर प्राप्तियां 58,431.74 करोड़ रुपये तथा गैर–कर प्राप्तियां 18,501.28 करोड़ रुपये की हैं, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 11.19 प्रतिशत होगा।

पूंजीगत व्यय

20. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट अनुमान 2017–18 में अनुमानित 22,393.51 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत व्यय के समक्ष, हम इसे संशोधित अनुमान 2017–18 में 22,428.08 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम हैं। आगामी वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, मैं इसे बढ़ाकर 30,012 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो कि बजट अनुमान 2017–18 पर 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

21. प्रदेश में पूंजीगत अवसंरचना के सृजन व इसके मजबूतीकरण हेतु हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 4,741 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किए जाने का अनुमान है। इसलिए, वर्ष 2018–19 में पूंजीगत व्यय 34,753 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

22. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के प्रदर्शन ने घाटे में कमी या लाभ में सुधार के मामले में सुधार के लक्षण दर्शाए हैं।

23. कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से वर्ष 2016–17 में 14 उपक्रमों ने शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 2013–14 में 13 उपक्रमों ने शुद्ध लाभ अर्जित किया था। वर्ष 2016–17 के दौरान इन 14 उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 187.29 करोड़ रुपये था। घाटे में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 के नौ से कम होकर वर्ष 2016–17 में आठ रह गई। न केवल संख्या में, बल्कि मौद्रिक रूप में भी समग्र घाटा वर्ष 2013–14 में 3,806.37 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016–17 में कम होकर 3,452.42 करोड़ रुपये रह गया।

24. इसी प्रकार, सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। यह इस बात से परिलक्षित होता है कि घाटे वाले उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में 13 से कम होकर वर्ष 2016–17 में 10 रह गई। घाटे की राशि वर्ष 2013–14 में 435.37 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2016–17 में 400.96 करोड़ रुपये रह गई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या पांच से बढ़कर आठ हो गई और उनका लाभ 72.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 337.30 करोड़ रुपये हो गया, जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्शाता है।

25. विशेष कानूनों के तहत पंजीकृत पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने लाभ में सुधार दर्शाया है जोकि वर्ष 2013–14 में 33.85 करोड़ रुपये से

बढ़कर वर्ष 2016–17 में 51.03 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अभी परिचालन उत्कृष्टता के अपने इष्टतम स्तर तक पहुंचना है, फिर भी वे अवसंरचना, रोजगार इत्यादि के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नई पहल

26. पिछले तीन वर्षों में हम प्रदेश के वित्त और राजकोषीय प्रबन्धन में परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वित्त एवं बजट के प्रबन्धन में परिवर्तन का नायक बनकर देश में एक अग्रणी स्थान हासिल किया है।

27. सरकार ने 30 नवंबर, 2017 को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सीमित **कैशलेस मेडिकल सर्विसिज स्कीम** शुरू की है। यह योजना वर्तमान में 6 प्राणघातक अवस्थाओं, नामतः हृदय सम्बन्धी आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्राव और करंट लगने, के लिए लागू है। कैशलेस मेडिकल सुविधा की 5 लाख रुपये प्रति दाखिला की ऊपरी सीमा भी हटा ली गई है।

28. राज्य के अंदर और बाहर सरकारी भूमि/संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक **एस्सेट मैनेजमेंट सैल** बनाया गया है। इसने अब तक 24,109 सरकारी संपत्तियों की पहचान की है। मैं वर्ष 2018–19 में इन संपत्तियों के मुद्रीकरण से 1000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. सरकार ने **हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के नाम से एक नई गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जोकि सार्वजनिक उद्यमों, हरियाणा के स्वायत्त निकायों और अन्य राज्य संस्थाओं की अधिशेष निधियों के कुशल प्रबंधन के लिए आंतरिक खजाना प्रबंधक के रूप में कार्य करेगी। इस कम्पनी के वर्ष 2018–19 की प्रथम तिमाही में चालू होने की संभावना है।

30. राज्य सरकार ने कराधान, बजट, वित्तीय नियोजन, लेखा परीक्षा तथा लेखा प्रबंधन प्रक्रियाओं और नीतिगत मुद्दों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, सार्वजनिक वित्त नीति, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीच्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट** की स्थापना की है। इसके अलावा, हरियाणा में सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर विजन 2030 को कार्यान्वित करने के लिए, यूएनडीपी की सहायता से संस्थान के एक भाग के रूप में, एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए फरवरी, 2018 में उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

31. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने वास्तविक समय आधार पर प्रयोक्ता तक सरकार से निधियों के प्रवाह की ऑनलाइन निगरानी हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से खजाना प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम व्यक्तिगत लेजर खातों (पीएलए)/व्यक्तिगत जमा खातों (पीडीए)/अन्य जमाओं के माध्यम से बैंक खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि को राज्य के खजाने में लाने में भी सक्षम हुए हैं। इस अनुक्रम में, मैं विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत स्वायत्त निकायों को अप्रैल 2018 से केवल एक या दो प्रमुख बैंक खाते संचालित करने की अनुमति देकर और अधिक वित्तीय अनुशासन लाने के लिए एक प्रमुख प्रक्रियात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य बातों के साथ–साथ, इसका अर्थ है कि धनराशि के कुशल उपयोग के लिए प्रत्येक विभाग, बोर्डों, निगमों या प्राधिकरण को सभी शेष बैंक खातों को एक या दो खातों में समेकित करना होगा।

32. लेखा और लेखा परीक्षण के क्षेत्रों में पेशेवर योग्यता के उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अपनी राज्य अधीनस्थ लेखा सेवाओं (एसएएस) और ऑडिट काडर का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके

लिए भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है। इससे काडर को अपना काम और अधिक पेशेवर ढंग से करने की सुविधा मिलेगी और साथ ही सरकारी विभागों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी राज्य वित्त का बेहतर प्रबन्धन हो सकेगा।

वित्तीय समावेश तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

33. मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए गर्व हो रहा है कि वित्तीय समावेश में प्रमुख कदम उठाए गये हैं। जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिवेणी अर्थात जेएएम के तहत, सभी परिवारों को जन धन के तहत कवर किया गया है। आधार नामांकन के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष राज्यों में से एक है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर मोबाइल को अंगीकार किया जा रहा है।

34. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, अगस्त, 2014 में इसके शुरू होने के बाद से 31 दिसम्बर, 2017 तक 64.54 लाख जन धन खाते खोले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में 31.64 लाख और शहरी क्षेत्रों में 32.90 लाख खाते खोले गए तथा 58.26 लाख रूपे कार्ड जारी किए गये।

35. बैंकों द्वारा 31 दिसंबर, 2017 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 27,94,368, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 8,53,218 तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,49,896 लोगों को नामांकित किया गया।

36. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2017 तक 1,35,784 लाभार्थियों को 2,051.76 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसमें से 407.02 करोड़ रुपये, 50,770 महिला लाभार्थियों को तथा 150.74 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के 29,605 लाभार्थियों को वितरित किए गये। मुद्रा योजना के तहत, इस योजना के शुरू होने से लेकर 8 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक सभी तीनों श्रेणियों नामतः शिशु, तरूण व किशोर में 4,72,380 लाभार्थियों को 5,832.83 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

37. हरियाणा उन प्रगतिशील राज्यों में से एक है, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया है ताकि आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके मौजूदा जटिल वितरण प्रक्रियाओं में सुधार करके मध्यस्थों और छद्म लाभार्थियों को निकाला जा सके और सरकारी योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने सुनिश्चित किए जा सकें। हम पेंशन, छात्रवृत्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लिकेज और चोरी को रोकने तथा छद्म लाभार्थियों को निकालने में सक्षम हुए है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1000 करोड़ रुपये वार्षिक की अनुमानित बचत हुई है।

38. हरियाणा राज्य 1 अप्रैल, 2017 से **कैरोसीन मुक्त** हो गया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 270 करोड़ रुपये की बचत हुई है और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने यह मील का पत्थर हासिल किया है। महिलाओं को धुएं के कलंक से मुक्ति दिलवाने के लिए तीन लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं।

39. राज्य सरकार ने मई 2016 में प्रोफेसर मुकुल आशेर की अध्यक्षता में आठ अन्य सदस्यों वाले **पांचवें राज्य वित्त आयोग** का गठन किया था। संदर्भ की शर्तों के अनुसार, आयोग को स्थानीय निकायों, ग्रामीण और शहरी दोनों, को निधियों के हस्तांतरण और उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करनी थी। आयोग ने सितंबर, 2017 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसकी कैबिनेट उप–समिति द्वारा जांच की जा रही है। अंतरिम उपाय के रूप में, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2018–19 के लिए निधियों का हस्तांतरण मौजूदा पद्धति पर जारी रहेगा।

कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं,

मुश्किल ये है कि बाग में अब तक कुछ कांटे पुराने हैं।

बजट अनुमान 2018–19

40. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये (1,02,329.35 करोड़ रुपये) से अधिक के परिव्यय वाला बजट प्रस्तुत करके हमने प्रदेश के बजट इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर पार किया था।

41. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018–19 के लिए मैं, 1,15,198.29 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि बजट अनुमान 2017–18 की तुलना में 12.6 प्रतिशत और 1,00,739.38 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान 2017–18 से 14.4 प्रतिशत अधिक है। इस बजट परिव्यय में 30,012 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के रूप में 26.1 प्रतिशत और 85,187 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के रूप में 73.9 प्रतिशत परिव्यय शामिल है।

42. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा उन कुछेक राज्यों में से एक है, जिन्होंने यूएनडीपी की सहायता से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आधारित अपना विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून 2017 में हरियाणा एसडीजी 2030 दस्तावेज का अनावरण किया था। मैंने राज्य के बजट 2018–19 को एसडीजी विजन 2030 के दस्तावेज के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया है ताकि हमारे राज्य को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और उदीयमान इकाई में परिवर्तित किया जा सके।

43. तीन मुख्य सिद्धांत अर्थात् (i) 'किसी को भी पीछे न छोड़कर, सबसे पहले सबसे आगे पहुंचना', राज्य सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' और 'अंत्योदय' के दर्शन के अनुरूप है, (ii) सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और (iii) सार्वभौमिकता, प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक शक्तियां हैं। इस विजन दस्तावेज में वर्ष 2030 तक सतत विकास के प्रत्येक लक्ष्य के तहत प्रमुख केंद्र बिन्दु क्षेत्रों, वर्तमान हस्तक्षेपों और राज्य द्वारा हासिल किए जाने वाले प्रासंगिक मील पत्थरों पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा द्वारा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों को

सुधारने के लिए पहले से ही कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस विजन 2030 दस्तावेज का लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों को तेज करने तथा दस्तावेज में निर्धारित महत्वाकांक्षी कार्य योजना को हासिल करने के लिए अन्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करना है।

44. अगले चरण के रूप में, भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार, राज्य सरकार विजन 2030 दस्तावेज में निहित सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए एक तीन वर्षीय कार्य योजना तथा एक सात वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार करने के लिए कार्य कर रही है।

45. अपने पहले प्रयास में, मैंने बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने और वैश्विक तथा राष्ट्रीय संकेतकों की व्यापक सूची के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.15 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 44,911.16 करोड़ रुपये की राशि से उन योजनाओं के लिए आवंटित की गई है, जिनसे प्रदेश में उचित समय में 15 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।

क्षेत्रीय आवंटन

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

46. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दृढ़ता से मानना है कि कृषि में आर्थिक वृद्धि को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लाभ हमारे किसानों, चाहे उनके पास भूमि हो या वे भूमिहीन हों, के लिए अधिकतम होने चाहिए। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने के अपने प्रयास में, राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने तथा उनकी बेहतरी के लिए सात कार्य बिंदुओं पर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

47. हमारे किसानों के कठोर परिश्रम और सरकार के हस्तक्षेपों के फलस्वरूप, खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 153 लाख मीट्रिक टन से 17 प्रतिशत

से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2016–17 में 180 लाख मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2017–18 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 174 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

48. हरियाणा खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद में एक अधिशेष राज्य रहा है। रबी विपणन सीजन 2017–18 के दौरान, केन्द्रीय पूल के लिए 1625 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। खरीफ विपणन सीजन 2017–18 के दौरान, सामान्य और ग्रेड–ए (लेवीएबल) किस्मों के 59.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद क्रमशः 1550 रुपये और 1590 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। गेहूं और धान की यह खरीद अब तक की सर्वाधिक खरीद है।

49. रबी विपणन सीजन 2018–19 के लिए, राज्य में खरीद एजेंसियों ने 1735 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के प्रबन्ध किए हैं। यह भाव पिछले वर्ष की तुलना में 110 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

50. राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए गन्ने का अब तक का सर्वाधिक 330 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, किसानों से सूरजमुखी, मूंग, बाजरा और सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है और भविष्य में भी की जाती रहेगी।

51. राज्य सरकार भारत सरकार के उस निर्णय का स्वागत करती है कि सभी अघोषित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा, जैसाकि रबी की अधिकतर फसलों के लिए है। यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

52. पानी और बीज के अतिरिक्त मृदा कृषि में एक महत्वपूर्ण आदान है। राज्य मृदा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। प्रदेश में 34 स्थैतिक और 2 मोबाइल

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) संचालित हैं। राज्य में लगभग 13.34 लाख मृदा नमूने एकत्रित किए गये और 40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

53. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 50 एकड़ प्रत्येक के 20 कलस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और 250 गांवों में किसानों को शिक्षित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से जलवायु स्मार्ट कृषि योजना शुरू की गई है।

54. उर्वरकों की आवश्यकता और उपयोग को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है और उर्वरक रिटेल आउटलेट्स पर 7300 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें स्थापित की गई हैं।

55. सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा किसान परिवारों और भूमिहीन श्रमिकों के शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दवाब को कम करने के लिए उपाय करने हेतु 'हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण' स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक इस सदन के चालू सत्र में लाए जाने की सम्भावना है।

बागवानी

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार इस तथ्य को बखूबी समझती है कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी बेहतरी के लिए बागवानी, पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन आदि में कृषि का विविधिकरण अति आवश्यक है। इस दिशा में, सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी के तहत क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाकर दोगुना करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से '**हॉर्टिकल्चर विजन**' तैयार किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 140 फसल समूहों में 340 'बागवानी गांव' घोषित किये हैं,

जिसके लिए फसल विविधिकरण तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक फसल समूह विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) तैयार किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार उच्च मूल्य वाली सब्जियों और उनके प्रत्यक्ष विपणन के लिए फरीदाबाद जिले में एक पायलट परियोजना शुरू करके 13 एनसीआर जिलों में पेरी–अर्बन खेती को बढ़ावा दे रही है।

57. तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के साथ करनाल में प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वैश्विक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करने की परिकल्पना की गई है। बागवानी फसलों में प्रदर्शन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पर भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र 2017 में कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया तथा पलवल, झज्जर और नारनौल में तीन उत्कृष्टता केंद्रों पर कार्य शुरू हो चुका है।

58. थोक बाजार में कम कीमतों के दौरान किसानों को प्रोत्साहन देकर उनके जोखिम को कम करने के लिए बागवानी फसलों में 'भावांतर भरपाई योजना' शुरू की गई है। प्रथम चरण में, चार फसलों नामतः प्याज, टमाटर, आलू और फूलगोभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

59. केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की प्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और किसान/आढ़ती हितैषी बनाने के लिए ई–एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के नाम से ई–मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। प्रदेश में 54 मंडियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है तथा 54 और मंडियों को इस वर्ष के अंत तक जोड़ दिया जाएगा।

पशुपालन एवं डेरी

60. पशुपालन और डेरी क्षेत्र एक अन्य क्षेत्र है, जिसे ध्यान केंद्रित करने के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र किसानों की आय को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे किसानों के कठोर परिश्रम और सरकार से व्यापक सहायता के कारण, प्रदेश में प्रति व्यक्ति

प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 329 ग्राम की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 878 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। प्रदेश में वीटा बूथों के माध्यम से पाश्च्युरीकृत ए–2 गाय का दूध उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है।

61. माननीय अध्यक्ष महोदय, आवारा बैलों की समस्या से निपटने के साथ–साथ मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करके दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में, सरकार का वर्ष 2018–19 में बड़े पैमाने पर सेक्सड सीमन टैक्नोलोजी अपनाने का प्रस्ताव है। इस तकनीक के तहत गाय के 90 प्रतिशत से अधिक बछिया पैदा होंगी, जिससे न केवल आवारा बैलों की समस्या हल होगी, बल्कि दुग्ध उत्पादन के लिए मादा पशुओं की उपलब्धता में भी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

62. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विश्व प्रसिद्ध मुर्राह नस्ल की भैंस का गर्वित भंडार है। मुर्राह जर्मप्लाजम के और अधिक विकास, प्रचार और संरक्षण के लिए, मैं वर्ष 2018–19 के दौरान नारनौंद उपमण्डल, हिसार में 'मुर्राह अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह केंद्र स्वरोजगार के लिए डेरी/डेरी फार्मिंग के मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और किसानों का कौशल विकास करके मुर्राह नस्ल की भैंसों का समग्र विकास सुनिश्चित करने में एक दूरगामी कदम साबित होगा। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के तहत एक पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज लखनौर साहिब, अम्बाला में स्थापित किया जाएगा।

वन

63. प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.65 प्रतिशत भाग वन और वृक्षों के अधीन है। पंचायत समितियों के सहयोग से दो अभिनव योजनाएं 'हर गांव पेड़ों की छांव' और 'हर घर हरियाली' शुरू की गई हैं। प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं तथा मोरनी की पहाड़ियों में पतंजलि योगपीठ की

तकनीकी सहायता से वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक विशाल भंडार बन जाएगा। मुरथल, सोनीपत में 116 एकड़ क्षेत्र में एक सिटी फॉरेस्ट का विकास किया जा रहा है। शिवालिक तथा अरावली में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण पर भी बल दिया गया है।

64. वर्ष 2018–19 के दौरान, लगभग 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा। वनों, वन्य प्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने के लिए मजबूती से प्रयास किए जाएंगे ताकि गरीबी को कम करने, आजीविका सृजन तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

65. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आगामी वर्षों में प्रदेश में कृषि क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जोकि समग्र, समेकित, प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी हो। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के लिए सदैव प्राथमिकता क्षेत्र रहा है।

मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा,

इसी सियाह समुन्दर से नूर निकलेगा।

मैं कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए संशोधित अनुमान 2017–18 के 2,709.69 करोड़ रुपये से 51.22 प्रतिशत की एक ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2018–19 के लिए 4,097.46 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें कृषि के लिए 1,838.49 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 913.43 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 834.91 करोड़ रुपये, वनों के लिए 427.17 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 83.46 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

सिंचाई और जल संसाधन

66. सरकार ने प्रदेश में **"प्रति बूँद अधिक फसल"** पहल के अनुसार, पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से सिंचाई के क्षेत्र में कई पहल की हैं।

67. राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए मानसून अवधि के दौरान प्रदेश में अधिशेष पानी लाने और **"हर खेत को पानी"** के विजन को साकार करने के लिए, वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाकर मौजूदा नहर प्रणाली के पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्य किया है।

68. मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए, वाहक प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने हेतु चार प्रमुख परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जिनका लक्ष्य मानसून सीजन के दौरान लगभग 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी लाना है। ये परियोजनाएं हैं–(i) आरडी 68220 (हमीदा हेड) से आरडी 190950 (इन्द्री हेड) तक पश्चिमी यमुना कैनाल मेन लाइन लोअर, (ii) आरडी 0–154000 तक पश्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा, (iii) क्षमता सुधार हेतु आरडी 0–145250 तक समानांतर दिल्ली शाखा का पुनरोद्धार और (iv) 6000 क्यूसेक की डिजाइंड क्षमता के साथ एक नए सीमेंट–कंक्रीट लाइंड चैनल के निर्माण के लिए संवर्धन नहर की रि–मॉडलिंग।

69. वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 550 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 125 चैनलों के मुख्य जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान 150 करोड़ रुपये की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हांसी शाखा, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार डिस्ट्रीब्यूटरी, जींद डिस्ट्रीब्यूटरी संख्या–3, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, चंदर माइनर, भिर्राना डिस्ट्रीब्यूटरी, बुड़क माइनर, धारोली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, सिंसर माइनर, खरल माइनर, कलवान माइनर, पंजोखरा माइनर, इशरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी, निगाना–बुरटाना लिंक चैनल, गुजराणी माइनर, निगाना फीडर, निगाना नहर, कैरू माइनर, जुई फीडर, सैली माइनर, जहांगीरपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, जुलाना सब–माइनर इत्यादि पर कार्य शुरू किया गया।

70. इसके अलावा, 143 करोड़ रुपये की लागत से जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने की एक परियोजना मार्च 2018 तक पूरी होने की संभावना है।

71. लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता को बहाल करने के लिए, लोहारू और बंधवाना नहर प्रणाली के विभिन्न पंपों और विद्युत घटकों को बदलने और उनके पुनरोद्धार के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

72. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सरकार विगत 39 वर्षों में पहली बार अधिकतम नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने में भी सक्षम हुई है। कुल 1350 नहरी टेलों में से 1343 टेलों को पूरी तरह से भरा गया और 7 टेलों को तकनीकी कारणों के चलते पूरी तरह से भरा नहीं जा सका। जुलाई–सितंबर 2017 के दौरान (2014 की तुलना में) जेएलएन फीडर ने 150 प्रतिशत और महेन्द्रगढ़ नहर (एमजीसी) ने 157 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की, जिससे 39 वर्षों के बाद टेलों तक पानी पहुंचा। लोहारू नहर ने 184 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की, जिससे 25 वर्षों के बाद सबसे लंबी डिस्ट्रीब्यूटरियों की टेल तक पानी पहुंचा। रेवाड़ी जिले को पानी की आपूर्ति करने वाली जेएलएन नहर ने पिछले दशकों की तुलना में विगत गर्मी के मौसम में 156 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की। यह सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

73. सरकार एसवाईएल का निर्माण करवाने और रावी–ब्यास के पानी का अपना न्यायोचित हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई, जो पिछले 12 वर्षों से लंबित थी, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को दोहराया कि न्यायालय द्वारा 30 नवम्बर, 2016 को पारित अंतरिम आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुदाई का कार्य पूरा करवाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को उचित निर्देश देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था ताकि पंजाब के क्षेत्र में एसवाईएल को शीघ्र पूरा करवाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं वर्ष 2018–19 में विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त

करता हूँ कि यदि एसवाईएल के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये की भी आवश्यकता पड़ी, तो हम उपलब्ध करवाएंगे।

सूक्ष्म सिंचाई

74. वर्ष 2017–18 के दौरान, "हरियाणा के विभिन्न जिलों में मौजूदा नहर कमान में सामुदाय आधारित सौर/ग्रिड पावर्ड सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना की स्थापना" के लिए 13 जिलों में 14 आउटलेट्स पर 1972 हैक्टेयर को कवर करने वाले कमान क्षेत्र हेतु 24.65 करोड़ रुपये की राशि की एक पायलट परियोजना क्रियान्वित की गई है। चौदह योजनाओं में से 9 नौ संचालित हैं और पांच योजनाएं जून, 2018 तक पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का प्रस्ताव इस परियोजना का 262 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 132 आउटलेट के 20957 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले प्रत्येक खण्ड के एक आउटलेट तक विस्तार करने का है।

75. व्यर्थ जा रहे उपचारित पानी के उपयोग के लिए 3.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'सीवेज ट्रीटमैंट प्लांटों पर सूक्ष्म सिंचाई' पर एक पायलट परियोजना कुरुक्षेत्र के शाहाबाद, पेहोवा और लाडवा कस्बों में 290 हैक्टेयर में क्रियान्वित की जा रही है।

76. मैं वर्ष 2018–19 में सिंचाई और जल संसाधनों के लिए 3,222.21 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 2,684.89 करोड़ रुपये के परिव्यय से 20.01 प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण विकास और पंचायत

77. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश के समान और संतुलित आर्थिक विकास के लिए गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, (i) वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पांच वर्ष के अंदर 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों के योजनाबद्ध विकास के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना,

(ii) तीन वर्ष की अवधि के दौरान 3,000 से 10,000 तक की जनसंख्या वाले 1,700 गांवों के विकास के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, (iii) ग्रामीण–शहरी समूहों के विकास पर लक्षित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। ये कलस्टर आर्थिक गतिविधियों का प्रावधान करके, विकासशील कौशल और स्थानीय उद्यमिता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके विकसित किए जाएंगे।

78. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, 6.33 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। राज्य को 22 जून, 2017 को खुले में शौच–मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। अब, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का ध्यान ओडीएफ प्लस पर है, जिसके तहत हरियाणा को प्लास्टिक–मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाने की परिकल्पना की गई है।

79. कार्यों, पदाधिकारियों और निधियों के मामले में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को साक्षर बनाने, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के वेतनमान/मानदेय बढ़ाने, 'स्वर्ण जयंती विकास निधि' योजना के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को सालाना विकास कार्यों के लिए धन के सुनिश्चित पैकेज के हस्तांतरण में परिलक्षित होती है।

80. पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को मजबूत बनाने, उनके सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत अध्ययन और तीन विश्वविद्यालयों नामतः हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के बीच श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को सांझा करने के उद्देश्य से, सरपंचों और ग्राम सचिवों के लिए मई, 2017 में तीन माह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

81. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत, इस योजना के तहत लगे श्रमिकों को एक

अप्रैल, 2017 से 277 रुपये प्रति मानव दिवस की न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2017–18 (दिसंबर, 2017 तक) के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में 65.38 लाख मानव दिवस सृजित करने और 25,377 विकास कार्यों के लिए 223.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि केंद्र सरकार से समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे गरीब लोगों को समय पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये का एक अलग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रिवॉलविंग फण्ड बनाया है।

82. अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना प्रदेश का विकास अधूरा है। मैं ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए वर्ष 2018–19 के लिए 4,301.88 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित कर रहा हूँ, जो संशोधित अनुमान 2017–18 के 3,451.19 करोड़ रुपये से 24.65 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

83. राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, प्रदेश में 60 अस्पतालों, 8 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न यूनिट्स, 124 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,630 उप–स्वास्थ्य केंद्रों और 64 शहरी औषधालयों/पॉलीक्लिनिक्स के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

84. मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 7 प्रकार की सेवाएं, नामतः सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, नैदानिक (एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, दवाइयां, रेफरल ट्रांसपोर्ट और दंत चिकित्सा उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान, हेमोडायलिसिस जैसी कुछ सेवाएं भी सात श्रेणियों के मरीजों जैसेकि बीपीएल मरीजों, अनुसूचित

जाति वर्ग के मरीजों, शहरी मलिन बस्तियों के मरीजों, दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने वाले मरीजों, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों, बिना संभाल वाले सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी न आने वाले गरीब मरीजों, के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। बीपीएल, अनुसूचित जाति और आरोग्य कोष मरीजों के लिए कैथ लैब सेवाएं निःशुल्क हैं।

85. सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर, सरकार द्वारा लोगों को सीटी स्कैन, एमआरआई, हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीटी स्कैन सेवाएं 11 जिला नागरिक अस्पतालों (भिवानी, फरीदाबाद, पंचकूला, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, जींद और सिरसा) में उपलब्ध हैं तथा 5 और नागरिक अस्पतालों (हिसार, पानीपत, रोहतक, अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी) तक इनका विस्तार किया जा रहा है। एमआरआई सेवाएं 4 जिला नागरिक अस्पतालों (पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी) में उपलब्ध हैं और नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में प्रक्रियाधीन हैं। हेमोडायलिसिस सेवाएं 7 नागरिक अस्पतालों (पंचकूला, गुरुग्राम, जींद, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार और अम्बाला छावनी) में संचालित हैं और जल्द ही अन्य शेष जिलों के नागरिक अस्पतालों में संचालित कर दी जाएंगी। नागरिक अस्पताल, पंचकूला और अम्बाला छावनी में हृदय चिकित्सा सेवाएं अर्थात कार्डियक कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट्स और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाएं तथा 20 बिस्तरों वाली कार्डियक केयर यूनिट्स शुरू हो गई हैं तथा फरीदाबाद और गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में भी इनका विस्तार किया जाएगा।

86. शत–प्रतिशत नाम आधारित उच्च जोखिम गर्भावस्था के मामलों की पहचान करने के लिए 'उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल' के नाम से एक अभिनव वेब एप्लिकेशन विकसित करने और लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

87. सरकार की परिकल्पना प्रत्येक जिले में सरकारी या निजी क्षेत्र में, चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की है। इस श्रृंखला में, भिवानी और जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है। महेन्द्रगढ़ में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम गुरुग्राम और श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के सहयोग से गुरुग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

88. झज्जर के गांव बाढसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है, जो अप्रैल, 2018 से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रेवाड़ी में भी एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है।

89. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए वर्ष 2018–19 में 4,769.61 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 3,815.07 करोड़ रुपये के परिव्यय से 25.02 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य विभाग के लिए 2,964.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए 1,344.14 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 278.29 करोड़ रुपये, ईएसआई के लिए 160.01 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध के लिए 22.63 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

स्कूल शिक्षा

90. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन से राज्य शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में सक्षम हुआ है। बहरहाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता मायने रखती है। इसके लिए, राज्य सरकार युवाओं के लिए गुणात्मक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रावधान करने पर बल दे रही है ताकि वे देशभक्त, स्वस्थ, कुशल और राष्ट्रीय परिसम्पत्ति बन सकें।

91. हमारी सरकार विद्यार्थियों को हमारे समाज और प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों, लोक कलाओं, विरासत एवं रीति–रिवाजों से अवगत कराने और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करने तथा हरियाणा की भावी पीढ़ियों के लिए हमारी समृद्ध परम्पराओं के तंत्र को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अध्ययन एवं संस्कार ग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए, हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान स्वच्छ प्रांगण, सु–संस्कार, सुगम शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की नई योजनाएं शुरू की गईं।

उच्चतर शिक्षा

92. राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विस्तार, सुदृढ़ीकरण, रूपांतरण और व्यापक सुधार हुआ है और यह प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1.18 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इनमें छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन और वजीफा योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के उच्चतर शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता के सिंद्धात के अनुरूप हैं।

93. राज्य के हर कोने में सभी विद्यार्थियों तक उच्चतर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017–18 में अलेवा, हथीन और बरोटा में तीन नए राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए हैं और सरकार ने सोनीपत, शहजादपुर, उकलाना, उगालन, गुल्हा चीका, मानेसर, जुंडला, कुरुक्षेत्र, उन्हानी, छिलरो, कालांवाली, रानियां, मोहना, बिलासपुर, रादौर, बडोली, रायपुर रानी, मंडकोला, नाचौली, लोहारू, तरावड़ी, रिठोज, खेड़ी चोपटा, डाटा, कुलाना, हरिया मंडी, चमू कलां, बल्लबगढ़ और सेक्टर–52, गुरुग्राम में 29 राजकीय महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। इन महाविद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इन महाविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं अस्थायी भवनों में शुरू हो जाएंगी।

94. हरियाणा में वर्ष 2017 में गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, सोनीपत की स्थापना हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत में कक्षाएं वर्ष 2018–19 से शुरू होनी प्रस्तावित है।

95. हरियाणा राज्य के 35 राजकीय महाविद्यालयों में बेहतर शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। राजकीय महाविद्यालय, पंचकूला में एक ऊष्मायन (इंक्यूबैशन) केंद्र स्थापित किया गया है और संचालन के लिए तैयार है।

96. मैं बजट अनुमान 2018–19 में शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा) के लिए कुल 13,978.22 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संशोधित बजट 2017–18 के 12,606.08 करोड़ रुपये पर 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा

97. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दो प्रमुख संस्थानों, नामतः भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक और भारतीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), कुरुक्षेत्र के भवन निर्माण के अन्तिम चरण में हैं और शैक्षणिक सत्र 2018–19 से नए परिसरों में कक्षाएं शुरू होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), पंचकूला का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2018–19 से राजकीय बहुतकनीकी पिंजौर और पंचकूला के नए भवन में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

98. पंचकूला और रेवाड़ी में दो नए राजकीय बहुतकनीकी–सह–बहु कौशल विकास केन्द्रों और यमुनानगर के सढ़ौरा में एक राजकीय बहुतकनीकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

99. राज्य सरकार ने झज्जर के सिलानी केशो और रेवाड़ी के जैनाबाद में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षाएं शुरू हो गई है।

100. मैं बजट अनुमान 2018–19 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 482.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 401.38 करोड़ रुपये पर 20.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

101. युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' शुरू किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2018–19 में 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। पलवल के दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बहरहाल, गुरुग्राम में अस्थायी परिसर से इसका संचालन शुरू हो चुका है।

102. वर्ष 2018–19 में गांव जाखल (फतेहाबाद), सिकरोना (फरीदाबाद), बराना (पानीपत), इंद्री (करनाल), सेहलंग (महेंद्रगढ़), सतनाली (महेंद्रगढ़), मुसेदपुर (गुरुग्राम), हसनपुर (अंबाला), नहोनी (अंबाला), राई (सोनीपत), नचरों (यमुनानगर), महाराजा जस्सा सिंह सफीदों (जीन्द), अलिका (सिरसा), खिजराबाद (यमुनानगर), जाखंदादी (फतेहाबाद), खेवड़ा (सोनीपत), जीवन नगर (सिरसा), सिसाय (हिसार), दारसुलकलां (फतेहाबाद) और जुआं (सोनीपत) में 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 22 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नामतः अंबाला शहर, भिवानी, खुद्दान, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रिवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, टोहाना, यमुनानगर, चरखी दादरी (महिला), फरीदाबाद (महिला), गुरुग्राम (महिला) हिसार (महिला), जींद (महिला), पुंडरी (महिला), करनाल (महिला) और रोहतक (महिला) को आदर्श आईटीआई में अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है।

सक्षम युवा योजना

103. राज्य सरकार सक्षम युवा योजना के तहत सहायता के साथ बेरोजगारों तक पहुंची है। हरियाणा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 100 घंटें

का वैतनिक कार्य सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत, पात्र स्नातकोत्तर और स्नातक उम्मीदवारों को 100 घंटे के कार्य के लिए 6,000 रुपये का मानदेय और स्नातकोत्तर उम्मीदवार को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 3,000 रुपये और स्नातक उम्मीदवार को 1,500 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत फरवरी, 2018 के अन्त तक 29,123 स्नातकोत्तर और 19,947 स्नातकों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई है। फरवरी, 2018 में इनमें से 10,106 (स्नातकोत्तर) और 4877 (स्नातक) सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों में मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया।

104. अब तक उन्हें मानदेय के रूप में 51.43 करोड़ रुपये और बेरोजगारी भत्ता और अन्य भत्तों के रूप में 78.77 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

105. हरियाणा राज्य ने हाल ही में प्रति लाख पर प्रशिक्षुओं का सबसे अधिक नामांकन करने के लिए भारत सरकार से सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में 'चैम्पियन ऑफ चेंज' की उपाधि हासिल की है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में एक समर्पित प्रशिक्षुता प्रोत्साहन प्रकोष्ठ की स्थापना, सभी जिलों में जिला प्रशिक्षुता समितियों के गठन और सभी हितधारकों के साथ नियमित कार्यशालाएं आयोजित किए जाने से यह संभव हुआ है। प्रशिक्षु अधिनियम के तहत फरवरी, 2018 के अन्त तक 8,695 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया हैं और 30,456 प्रशिक्षुओं को काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षुता की शुरुआत की गई है और आशा है कि राज्य जून, 2018 तक सरकारी/अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में 15,000 प्रशिक्षुओं को काम प्रदान कर सकेगा।

106. मैं बजट अनुमान 2018–19 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 657.94 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि

संशोधित अनुमान 2017–18 के 458.71 करोड़ रुपये से 43.43 प्रतिशत अधिक है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग

राज्यीय सड़कें

107. हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015–16 में राज्य के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क तंत्र के समान और भेदभाव रहित विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 में नवंबर, 2017 तक राज्य में 12,721 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार और 184 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

108. हरियाणा में सभी सड़कों को गड्ढों से मुक्त रखने के लिए, प्रगति की 24 घंटे निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कैमरा और इंटरनेट की सुविधा से युक्त पैचिंग मशीनों का इस्तेमाल करके गड्ढों को भरने की नई मैकेनाइजड पद्धति को अपनाने की पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

109. राज्य में कुल 759 रेलवे फाटक हैं, जिनमें से 592 मानव नियंत्रित और 167 मानव रहित हैं। राज्य सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से वर्ष 2020 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटकों को समाप्त करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है।

110. वर्ष 2016–17 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई–I और पीएमजीएसवाई–II) के निष्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की हरियाणा ग्रामीण सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। पीएमजीएसवाई–I और पीएमजीएसवाई–II की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त राज्य को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के साथ ही पीएमजीएसवाई–III के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

111. हरियाणा सरकार की पहल पर, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–148बी पर रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) –नारनौल–महेंद्रगढ़–चरखी दादरी– भिवानी से राष्ट्रीय राजमार्ग–709 का विस्तार करके खरक तक 155 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर की 1,240.65 करोड़ रुपये लागत की चारमार्गी परियोजना को वार्षिक योजना–2016–17 में शामिल किया गया। इस कोरिडोर को पांच पैकेजों में विभाजित करके अभियांत्रिकी खरीद अनुबंध पद्धति (ईपीसी) में पूरा किया जाएगा। खरक से भिवानी और भिवानी से मंडोला (चरखी दादरी) तक 517.54 करोड़ रुपये की लागत के दो पैकेजों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है। मंडोला (चरखी दादरी जिला) से रायमलिकपुर तक के शेष भाग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने इन तीन पैकेजों का कार्य हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के माध्यम से करवाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया है।

112. राज्य सरकार के आग्रह पर, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग–21ए के लिए अभियांत्रिकी खरीद अनुबंध पद्धति पर 140 करोड़ रुपये की राशि से पिंजौर बाईपास के निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की है।

113. भारत सरकार की सेतु भारतम् योजना के तहत, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में 346.69 करोड़ रुपये की कुल लागत से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर आठ आरओबी (जींद में दो, झज्जर, अंबाला शहर, पाली रिवाड़ी, लोहारु, कैथल और पिंजोर में एक–एक) का निर्माण किया जाएगा।

114. भारत सरकार ने 989.13 किलोमीटर लम्बी सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर, हरियाणा राज्य में पड़ने वाले 933 किलोमीटर

लम्बे और 23 सड़कों वाले 10 राष्ट्रीय राजमार्गों को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है।

115. प्रदेश में 427.1 किलोमीटर लम्बी सड़कों नामतः गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी (52 किलोमीटर), राष्ट्रीय राजमार्ग 148–बी पर फतेहाबाद–रतिया–बुढलाड़ा मंडी (35 किलोमीटर), जींद–सफीदों–पानीपत (73 किलोमीटर), तीतरम मोड–कैथल–जींद–हांसी (75 किलोमीटर) और हिसार–तोशाम–बाढ़डा– सतनाली–महेन्द्रगढ़–रेवाड़ी(175 किलोमीटर) और फरीदाबाद (खेड़ी पुल)–जसाना–चेर्सी–मांझवाली–अत्ता गुजरां–डंकोर–यमुना एक्सप्रेसवे (19.1 किलोमीटर) सड़क के लिए हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और 297.6 किलोमीटर की लंबाई के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई), नोएडा द्वारा और 32.2 किमी की लंबाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

116. शेष 232.23 किलोमीटर की लम्बाई के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा रहे हैं। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी द्वारा तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स को त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को सौंपा जा रहा है।

117. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंबाला से कैथल तक राष्ट्रीय राजमार्ग–65 को चारमार्गी बनाने का कार्य प्रगति पर है और कैथल से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग–65 को चार मार्गी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।

118. इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–73 (पंचकुला से यमुनानगर खंड) को चार मार्गी बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के इर्द–गिर्द 135 किलोमीटर लम्बे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भी

कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 49 किलोमीटर लम्बा भाग हरियाणा के सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में पड़ता है।

119. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा कुण्डली–मानेसर–पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर लम्बे मानेसर–पलवल खंड को चालू कर दिया गया है। कुण्डली–मानेसर खंड का कार्य प्रगति पर है और निकट भविष्य में पूरा होने की सम्भावना है।

120. वर्ष 2017–18 के दौरान, नूह (मेवात) में सार्वजनिक निजी भागीदारी (टोल) पद्धति पर 14.28 किलोमीटर लम्बी फिरोजपुर–झिरका–बिवान सड़क को सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के साथ दो मार्गी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।

रेलवे

121. दो रेलवे लाइनों नामतः रोहतक में मौजूदा रोहतक–गोहाना–पानीपत रेलवे लाइन और रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन को ऊपर उठाने का कार्य प्रगति पर है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रेलवे मंत्रालय के साथ एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः 'हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड' का गठन किया गया है। हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने सात नई रेल परियोजनाओं नामतः (i) यमुनानगर–चण्डीगढ़ वाया नारायणगढ़ और सढ़ौरा, (ii) दिल्ली–सोहना–नूह–फिरोजपुर झिरका–अलवर, (iii) फर्रूखनगर–झज्जर–चरखी दादरी, (iv) जीन्द–हांसी, (v) भिवानी–लोहारू, (vi) करनाल–यमुनानगर और (vii) रेलवे स्लाईडिंग परियोजना, मानेसर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

122. मैं वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 3,169.70 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संशोधित अनुमान 2017–18 के 3,084.89 करोड़ रुपये की तुलना में 2.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

नागरिक उड्डयन

123. तीन चरणों में हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के रूप में विकसित करने के लिए एक सामरिक कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रथम चरण में, छः से आठ महीनों में 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत मौजूदा हवाई क्षेत्र को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में उन्नत किया जाएगा। इसके उपरान्त, दूसरे चरण में रख–रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एमआरओ), पार्किंग और सब–बेसिंग कार्यों के लिए रनवे को 4,000 फुट से बढ़ाकर 9,000 फुट किया जाएगा। अंत में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अध्ययन के उपरान्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

124. राज्य सरकार मौजूदा हिसार हवाई क्षेत्र पर एक ब्राउन फील्ड परियोजना के रूप में समेकित विमानन हब विकसित कर रही है। पिंजौर, करनाल, भिवानी और नारनौल में मौजूदा हवाई पट्टियों को 3,000 फुट से बढ़ाकर 5,000 फुट का करने और दिल्ली हवाई अड्डे से आने वाले हवाई जहाजों की पार्किंग तथा एमआरओ गतिविधियों के लिए पार्किंग स्थल विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

125. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार हिसार से दिल्ली तक छः–लेन के नियंत्रित क्षेत्र एक्सप्रेसवे और तेज गति की ट्रेनों के माध्यम से तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की सम्भावना की जांच करने के लिए सहमत हो गई है, जिससे दिल्ली और हिसार के आसपास केएमपी एक्सप्रेसवे के बीच की 134 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट से भी कम समय में तय करना सुनिश्चित होगा। इसके लिए व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

126. मैं वर्ष 2018–19 में नागरिक उड्डयन के लिए 201.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो संशोधित अनुमान 2017–18 के 28.35 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 610 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बिजली एवं सौर ऊर्जा

127. सरकार सभी को बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कृत–संकल्प है। 'म्हारा गांव, जगमग गांव' योजना के तहत 400 फीडरों के अधीन आने वाले पांच जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा के 1,811 गांवों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

128. राज्य ने पानीपत शहर में पायलट स्मार्ट ग्रिड परियोजना को क्रियान्वित करके तकनीकी उन्नयन में एक उपलब्धि हासिल की है, जिससे 10,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया गया है। सतत भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

129. गत तीन वर्षों के दौरान, 27 नए सब–स्टेशन स्थापित करके और 155 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। कुल मिलाकर 6,824 एमवीए की सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है और 967 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2018–19 में सम्प्रेषण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए 24 नए सब–स्टेशन स्थापित करने, 93 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और लगभग 775 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना है।

130. वितरण तंत्र को और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बनाने के लिए गत तीन वर्षों में 33 केवी के 109 नए सब–स्टेशन स्थापित किए गये हैं, 33 केवी के 231 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 33 केवी की लगभग 1,234 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2018–19 में 105 नये सब–स्टेशन स्थापित करके, 33 केवी के 177 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर और 33 केवी की 790 किलोमीटर से अधिक लम्बी नई लाइनें बिछाकर 33 केवी सब–स्टेशन तंत्र के विस्तार के कार्य को तेज किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा

131. राज्य सरकार ने प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप मार्च, 2016 में एक आकर्षक सौर नीति अधिसूचित की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 4030 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 1600 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी। राज्य में अभी तक 49.8 मेगावाट क्षमता की भूतल और 70 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, सरकारी सहायता से सरकारी भवनों पर 50 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में 20 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

132. वर्ष 2016–17 के दौरान, सीमित उपयोग के लिए 1.2 मेगावाट क्षमता की एक बायोमास सह–उत्पादन परियोजना स्थापित की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान, सीमित उपयोग के साथ–साथ राज्य ग्रिड को अधिशेष बिजली के निर्यात के लिए 116 करोड़ रुपये के निवेश से नारायणगढ़ चीनी मिल में 25 मेगावाट क्षमता की एक अन्य खोइ/बायोमास बिजली उत्पादन परियोजना शुरू की गई। राज्य में स्थापित यह सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, जो न केवल गन्ने के पिराई मौसम के दौरान बिजली उत्पन्न करेगी, बल्कि ऑफ–सीजन के दौरान भी बिजली उत्पन्न और निर्यात करेगी। यह परियोजना गन्ना पिराई मौसम के दौरान राज्य ग्रिड को लगभग 16.92 मेगावाट बिजली और ऑफ–सीजन के दौरान लगभग 22.43 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाएगी।

133. खेतों में पराली का जलाया जाना केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के लिए चिंता का एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए धान की पराली आधारित बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। विभाग ने राज्य के छः जिलों नामतः करनाल, कुरुक्षेत्र,

फतेहाबाद, जींद, कैथल और अंबाला में लगभग 50 मेगावाट क्षमता की धान की पराली आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना डेवलपर्स से प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार ने राज्य में गोबर/पोल्ट्री कचरे/उपयुक्त जैव–कचरे पर आधारित लगभग 20 मेगावाट क्षमता की बायोगैस बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव निवेदन आमंत्रित किए हैं।

134. हाल ही में, राज्य सरकार ने एक नई 'हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति 2018' को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य बायोमास पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। इससे राज्य को बायोमास के वैज्ञानिक निपटान में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हल करने में भी मदद मिलेगी। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट या समतुल्य परियोजनाएं स्थापित करने का है।

135. मैं वर्ष 2018–19 में बिजली विभाग के लिए 15,372.16 करोड़ रुपये और गैर–पारंपरिक ऊर्जा विभाग के लिए 112.85 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा हूँ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

136. वर्ष 2017–18 के दौरान, 74 चिह्नित बस्तियों को 31 दिसंबर, 2017 तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति का लाभ प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2018–19 में 272 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

137. सरकार जल आपूर्ति के स्तर को 55/70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति संवर्धन कार्यक्रम के तहत गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दे रही है। यह कार्य अतिरिक्त नलकूप स्थापित करके, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का संवर्धन करके, नहर आधारित नए जलघरों के सृजन, बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके किया जाएगा।

138. वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से आठ जिलों नामतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, नूह (मेवात), जींद और पलवल में 516 गांवों और 87 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 1,158.45 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 14 योजनाएं प्रगति पर हैं।

139. राज्य के सभी 82 कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है, जबकि 79 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। दो कस्बों, भूना और बराड़ा में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जबकि एक कस्बे राजौंद में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

140. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन कस्बों नामतः फर्रूखनगर, नूंह और हेली मण्डी–पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजनाएं चालू की गईं। प्रदेश के नौ कस्बों नामतः सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर, होडल और समालखा की सीवरेज प्रणाली के संवर्धन के लिए नवम्बर, 2017 में 72.11 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

141. मैं वर्ष 2018–19 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,719.71 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 3,141.95 करोड़ रुपये की तुलना में 18.39 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन

142. वर्तमान सरकार अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सेवा गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता किए बिना, राज्य के लोगों को न्यूनतम लागत पर पर्याप्त, सक्षम और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

143. राज्य में कुल 4100 बसों के बेड़े (31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार) के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 11.74 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके रोजाना लगभग 12 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज के प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। हरियाणा रोडवेज के तीन डिपो में जीपीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में यह प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। अक्तूबर, 2018 तक हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन शुरू करने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा रोडवेज की बसों में एलईडी आधारित गंतव्य बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज 40 विभिन्न श्रेणियों के नागरिकों को मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

144. सरकार सड़क डिजाइन में सुधार, उचित चालक प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और सघन प्रवर्तन द्वारा अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा पर बल दे रही है। इस प्रयोजन के लिए सरकार सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करेगी।

145. सरकार वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए छः और वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र स्थापित करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक भी स्थापित किए जाएंगे।

146. मैं वर्ष 2018–19 में परिवहन विभाग के लिए 2,538.40 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान वर्ष 2017–18 के 2,239.43 करोड़ रुपए की तुलना में 13.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

147. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल भारत के विजन के अनुरूप नागरिकों को उनके घरद्वार

पर नकदी रहित, मानव हस्तक्षेप रहित और कागज रहित ढंग से सरकारी सेवाएं मुहैया करवाकर सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को आगे बढ़ाने में व्यापक प्रगति की है।

148. राज्य में कुल 11,986 अटल सेवा केंद्र (ग्रामीण क्षेत्रों में 8204 और शहरी क्षेत्रों में 3782) पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6623 केन्द्र नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2018 के दौरान सभी 6205 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल करने का इरादा है।

149. हरियाणा को डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु चार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विशिष्ट नीतियां अर्थात (1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण नीति 2017, (2) उद्यमी और स्टार्टअप नीति 2017, (3) संचार एवं संयोजिता अवसंरचना नीति 2017 और (4) साइबर सुरक्षा नीति 2017 तैयार कर अधिसूचित की गई हैं।

150. वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई–युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (**उमंग**) योजना के तहत, हरियाणा ने 10 विभागों की 107 सेवाओं को पहले ही शुरु कर दिया है। ऑल–इन–वन एप्प, उमंग भारत के नागरिकों को सिर्फ एक क्लिक पर सब कुछ ऑनलाइन करने में सक्षम बनाता है।

151. जनसंख्या 2015 के आधार पर हरियाणा 103 प्रतिशत आधार सेचुरेशन के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। शून्य से पांच वर्ष के आयु वर्ग में आधार नामांकन 78 प्रतिशत है और वर्तमान में हरियाणा पहले स्थान पर है।

152. 'डिजिटल इंडिया' और 'डिजिटल हरियाणा' के विजन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 दिसंबर, 2017 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 विभागों की 106 सेवाओं को पहले ही 'सरल' (सिम्पल ऑल इंक्लूसिव रियलटाइम एक्शन ओरियंटिड लॉन्ग–लास्टिंग) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा चुका है। 'सरल' एक स्थान पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने का एक

एकीकृत मंच है। अप्रैल, 2018 के अंत तक सभी 387 सेवाओं (सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित) को 'सरल' प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाने की योजना है। नागरिकों को बजटीय योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तहसील स्तर पर पंडित दीनदयाल अंत्योदय सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

153. मैं बजट अनुमान 2018–19 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 148.66 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 127.05 करोड़ रुपये की तुलना में 17.01 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग

154. राज्य में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में उद्योगों के महत्त्व से इंकार नहीं किया जा सकता। राज्य को विकास के अगले स्तर पर अग्रसर करने के लिए 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किलिंग इंडिया' अभियानों के साथ संरेखित करते हुए एक अनूठी 'उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015' (ईपीपी) लागू की गई।

155. हरियाणा में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने फरवरी, 2017 में हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र नामक सिंगल रूफ मैकेनिज्म की स्थापना की है। एकल खिड़की की अवधारणा के साथ आगे बढ़ने और सभी औद्योगिक स्वीकृतियां/लाइसेंस देने के लिए एकल कार्यालय की परिकल्पना करने वाला हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है। इस केन्द्र के माध्यम से सभी औद्योगिक स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन दी जा रही हैं। नई उद्यम प्रोत्साहन नीति ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। वर्ष 2016 में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा देश में 14वें स्थान पर था। उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा आज भारत सरकार के ईज ऑफ डुइंग बिजनेस फेमवर्क की रैकिंग में देश के सभी राज्यों में पहले स्थान पर आ गया है।

156. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 29,121 करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ, जिससे निजी औद्योगिक उद्यमों में 2,03,359 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। चल रही परियोजनाओं में 45,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश हो रहा है।

157. राज्य सरकार ने हाल ही में 'हरियाणा टेक्सटाइल पॉलिसी 2018' को मंजूरी दी है, जो पांच प्रमुख स्तंभों नामतः बुनियादी ढांचों के संवर्धन के लिए पहल, राजकोषीय प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण/उद्यमशीलता के लिए समर्थन, खादी उद्योग को बढ़ावा और राज्य भर में नए टेक्सटाइल पार्क एवं समूहों की सुविधा पर आधारित है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य (i) टेक्सटाइल क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, (ii) टेक्सटाइल क्षेत्र में 50,000 नई नौकरियां सृजित करना, (iii) कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना और (iv) संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है।

158. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगतिशील विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018' तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रभावी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करके समस्त फूड वैल्यू चैन में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। नीति का लक्ष्य 3,500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और इस क्षेत्र में 20,000 नए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

खान और भूविज्ञान

159. वर्तमान सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक उठाए गए जन–हितैषी कदमों के फलस्वरूप राज्य में मुकद्दमेबाजी के कारण लंबे समय से बंद पड़ा खनन कार्य पुनः शुरू हुआ है। वर्तमान में, राज्य में 57 खानें संचालित हैं और परिणामस्वरूप, अब सार्वजनिक और निजी उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता की निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध है।

160. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने और खनन कार्यों के कारण प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों के कल्याण के लिए परियोजनाएं शुरू करने हेतु एक अलग कोष सृजित किया जाएगा। इस कोष के तहत पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने जैसी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

161. मैं, बजट अनुमान 2018–19 में उद्योग एवं खनिज के लिए 399.86 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 के 189.11 करोड़ रुपये की तुलना में 111.44 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन

162. राज्य सरकार भौतिक विकास की आवश्यकता के साथ–साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सचेत है। इसके लिए, राज्य हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव मनाता है। राज्य सिंधु दर्शन, मानसरोवर यात्रा और गुरु दर्शन यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

163. भारत सरकार ने कृष्ण सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित की है। इसके लिए, राज्य द्वारा ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी और सन्निहित सरोवर के अतिरिक्त शहरी अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। राज्य ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रेवाड़ी–महेंद्रगढ़–माधोगढ़ के लिए टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर हैरिटेज सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव भी किया है।

164. मैं वर्ष 2018–19 में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्यटन के लिए 52.12 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

शहरी विकास

165. शहरी विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहरों के रूपातंरण के लिए तीन महत्त्वाकांक्षी योजनाएं नामतः स्मार्ट सिटीज, अटल पुनरुत्थान एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत), स्वच्छ भारत मिशन–शहरी, क्रियान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार की सहायता से राज्य के स्वयं के संसाधनों से गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

166. देश में विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 शहरों में हरियाणा के दो शहरों, फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

167. हरियाणा को खुले में शौच–मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के सभी शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कवर करने के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 15 कलस्टर्स का प्रस्ताव है, जिनमें से चार ऊर्जा अपशिष्ट और 11 खाद/आरडीएफ कचरा परियोजनाएं हैं। दो कलस्टर्स के लिए कन्सेशनेयर्स ने जमीनी स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है।

168. अटल पुनरुत्थान और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत) योजना के तहत हरियाणा के 20 शहरों (18 शहरी स्थानीय निकाय) नामतः गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला शहर, अंबाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, पलवल, सिरसा और जींद को कवर किया गया है।

169. राज्य सरकार ने 2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए अपना घर सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882.50 करोड़ रुपये की लागत से 11,259 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के निर्माण

की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति तैयार की गई है।

170. मैं शहरी विकास के लिए 5,626.84 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,221.83 करोड़ रुपये और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1,405.01 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह परिव्यय बजट अनुमान 2017–18 के 4,973.58 करोड़ रुपये की तुलना में 13.13 प्रतिशत अधिक है।

पुलिस

171. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान राज्य सरकार अपने मेहनकश नागरिकों को समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए शांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'हरियाणा 100' शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे राज्य को नियंत्रित करने के लिए पंचकूला में केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। 'हरियाणा 100' में समर्पित भवन एवं वाहन, प्रौद्योगिकी (सीसीटीएनएस से अलग), प्रभावी प्रतिक्रियाओं का आश्वासन, त्वरित कार्रवाई, अपराध की रोकथाम और संभावित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, समीक्षा, आपदाओं के लिए आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र, सूचना प्रणाली, परिभाषित भूमिकाओं के साथ संगठनात्मक ढांचा, प्रशिक्षण, विश्लेषण एवं अनुसंधान, नेतृत्व विकास के घटक शामिल होंगे। इससे पुलिसकर्मियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 153 करोड़ रुपये और वार्षिक परिचालन लागत 40 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

172. दूसरी प्रमुख पहल प्रत्येक पुलिस थाने में **पुलिस मित्र कक्ष** के रूप में सेवा–सह–शिकायत केंद्र स्थापित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य विवादों का निपटान करने और नागरिक अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने के

लिए जन साधारण के साथ मिल कर कार्य करते हुए, एक एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से पुलिस सेवाएं प्रदान करना है। आशा है कि इससे पुलिस बल को और अधिक सेवा उन्मुख बनाने के लिए उनमें व्यावहारिक परिवर्तन आएगा।

173. वर्ष 2018–19 के लिए, गृह विभाग के लिए 4,791.14 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है, जो संशोधित अनुमान 2017–18 के 4,121.73 करोड़ रुपये की तुलना में 16.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रस्तावित परिव्यय में पुलिस के लिए 4,702.27 करोड़ रुपये, गृह रक्षी के लिए 33.82 करोड़ रुपये और राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए 55.05 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कल्याण

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा वृद्धावस्था पेंशन

174. सरकार आधुनिक भारत के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ पंडित दीन दयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानव दर्शन' एवं 'अंत्योदय' के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं।

175. अनुसूचित जातियों के युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए वर्ष 2017–18 में 'राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

176. सफाई कर्मचारियों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, छानबीन और निगरानी करने के लिए 6 नवंबर, 2017 को हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिसूचित किया गया। यह आयोग

सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली विधायी और विकासात्मक नीतियों पर सरकार को परामर्श भी देगा।

177. बाल संवारने की कला की विरासत को पुनर्जीवित व प्रोत्साहित करने, इसकी निरंतरता और उन्नयन तथा इस पेशे में नई प्रौद्योगिकियां लाने में समन्वय तथा सहायता करने के उद्देश्य से नवम्बर, 2017 को हरियाणा केश कला और कौशल विकास बोर्ड का गठन किया गया।

178. बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन 1 नवंबर, 2017 से 200 रुपये बढ़ाकर 1800 रुपये की गई है, जोकि देश में सर्वाधिक है।

179. राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना** के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 18–70 वर्ष की आयु वर्ग के प्रदेश के स्थायी निवासी (चाहे वह किसी भी जाति, सम्प्रदाय एवं आय वर्ग का हो) को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है।

180. मैं वर्ष 2018–19 के लिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 6,812.30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2017–18 के 5,609.30 करोड़ रुपये से 21.45 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास

181. राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने तथा उनमें कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

182. राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं और यह दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने

राज्य के अधिकारियों को अपने अधिकारियों के साथ सफलता के अनुभवों को सांझा करने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान सरकार के प्रयासों और 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप, लिंगानुपात (जन्म के समय) में काफी सुधार हुआ है, जो 2011 में मात्र 830 की तुलना में 2017 में 914 के स्तर तक पहुंच गया।

183. मैं वर्ष 2018–19 में, महिला एवं बाल विकास के लिए 1,385.73 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2017–18 में 1,250.61 करोड़ रुपये की तुलना में 10.80 प्रतिशत अधिक है।

अन्य

जिला योजना स्कीम

184. इस स्कीम के तहत जिला प्रशासन को जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़कों, सामुदायिक भवनों और खेल आदि के क्षेत्र में व्यापक विकासात्मक कार्य करने की छूट है। मैं वर्ष 2018–19 के लिए इस स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

185. देश में जुलाई, 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन ने **'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर'** की अवधारणा को साकार किया है। जीएसटी को अक्षरशः लागू करने में हरियाणा सबसे आगे रहा है। राज्य सरकार ने मौजूदा करदाताओं को सहज रूप से जीएसटी में लाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने अधिकारियों को ही नहीं बल्कि विभिन्न हितधारकों जैसेकि डीलरों, उद्योगों, व्यापार संघों आदि को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

186. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गरिमामय सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा में 28 फरवरी, 2018 तक, 2.35 लाख डीलरों, जोकि वैट, केन्द्रीय आबकारी तथा सेवा कर के तहत पंजीकृत थे, को

सफलतापूर्वक जीएसटी के तहत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 1.47 लाख नये डीलरों को पंजीकृत किया गया है, जिससे प्रदेश में पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या बढ़कर 3.82 लाख हो गई है। हालांकि हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन विभिन्न जीएसटी एक्ट के तहत 28 फरवरी, 2018 तक लगभग 32,546 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ देश में उच्च स्थान पर है। जीएसटी के क्रियान्वयन में हरियाणा मॉडल–1 राज्य है, जिसने बैकएंड मॉड्यूल वर्क तथा जीएसटीएन के साथ अवसंरचना का एकीकरण कर लिया है। स्टेट डाटा सेंटर और हैल्पडैस्क स्थापित किए गए हैं।

187. सरकार ने राज्य की संसाधन स्थिति में सुधार के लिए दो प्रमुख योजनाओं, नामतः 'दी हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2017' और 'दी हरियाणा आल्टरनेटिव टैक्स कम्लायंस स्कीम फॉर कान्ट्रेक्ट्र्स 2016' की घोषणा की है। इन दोनों योजनाओं के तहत, वर्ष 2017–18 में क्रमशः 2,328.36 करोड़ रुपये और 833.31 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई है।

कर प्रस्ताव

188. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वित्त वर्ष 2018–19 के इन बजट अनुमानों में हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (एचवीएटी) एक्ट, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने या कोई नया कर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, विनिर्माण में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए मैं प्राकृतिक गैस पर लगने वाले मूल्य संवर्धित (वैट) कर की दर को 12.5 प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राजस्व प्राप्तियां

189. माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैंने वर्ष 2018–19 के लिए किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कर और गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की बेहतर वसूली के जरिए वर्ष 2018–19 में 76,933.02 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। इसमें राज्य की स्वयं की 49,131.74 करोड़

रुपये की कर राजस्व प्राप्तियां और 11,302.66 करोड़ रुपये की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

190. कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों, जीएसटी से 23,760 करोड़ रुपये, वैट से 11,440 करोड़ रुपये, आबकारी शुल्क से 6,000 करोड़ रुपये और स्टाम्प एवं पंजीकरण से 4,500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। गैर–कर प्राप्तियों में ईडीसी से 4,000 करोड़ रुपये, परिवहन से 2,000 करोड़ रुपये और खनन से 800 करोड़ रुपये शामिल हैं।

191. इसके अतिरिक्त, सरकार अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है, जोकि वर्ष 2018–19 में 19,366.99 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 में, भारत सरकार का 7,198.62 करोड़ रुपये का सहायतानुदान वित्तपोषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत होगा।

समग्र क्षेत्रवार हिस्सा

192. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बजट आवंटन के हिस्से का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने कुल बजट का 28.7 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं (अर्थात कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी के लिए 12.22 प्रतिशत, बिजली के लिए 5.87 प्रतिशत, परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़क और पुलों के लिए 4.73 प्रतिशत, ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 3.76 प्रतिशत और अन्य के लिए 2.12 प्रतिशत) के लिए आवंटित किया है। इसी प्रकार, 33.89 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं (शिक्षा के लिए 12.96 प्रतिशत, समाज कल्याण के लिए 7.46 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4.14 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3.20 प्रतिशत और अन्य के लिए 6.13 प्रतिशत) के लिए आवंटित किया गया है। सामान्य सेवाओं को 14.40 प्रतिशत हिस्सा (प्रशासनिक सेवाओं के लिए 4.79 प्रतिशत, पेंशन के लिए 7.21 प्रतिशत और अन्य के लिए 2.40 प्रतिशत) मिला है और ऋणों (मूल के लिए 10.82 प्रतिशत और ब्याज के लिए 12.19 प्रतिशत) की अदायगी के लिए 23.01 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

193. समावेशी विकास का उद्देश्य तब तक अधूरा और अर्थहीन है, जब तक कि उसका लाभ समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को न मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 40,147.47 करोड़ रुपये के कल्याण एवं विकास योजना परिव्यय का 20.12 प्रतिशत अर्थात 8,078.45 करोड़ रुपये का परिव्यय, वर्ष 2018–19 में एससीएसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए तथा महिला घटक हेतु 16.52 प्रतिशत अर्थात 6,633 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

निष्कर्ष

194. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2018–19 के अपने बजट प्रस्तावों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का प्रयास किया है, जिसमें राज्य के विकास मानदंडों के सभी पहलु शामिल हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने **'हरियाणा एक हरियाणवी एक'** की भावना के अनुरूप प्रत्येक हितधारक तक पहुंचने का प्रयास किया है। मेरा बजट अभिभाषण अत्यंत ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए, मैं इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी सदस्यों से अपने बजट प्रस्तावों, जिनका उद्देश्य संतुलित विकास के नए युग का सूत्रपात करना है, जिसमें राज्य के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लाभों से कोई भी अछूता न रहे, पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने और इन्हें अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ।

कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,
लहर–लहर तूफान मिले और मौज–मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें।

195. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, अब मैं वर्ष 2018–19 के बजट को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वन्दे मातरम!

जय हिन्द!

56085—F.D.—H.G.P., Chd.